भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1910
30 जुलाई,2026 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में क्षमता संवर्धन

†1910**. श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के देवास-शाजापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सोयाबीन, गेहूं, दलहन, बागवानी उपज और मोटे अनाजों के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षमता और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु कोई पहल की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस निर्वाचन क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, शीतागार श्रृंखला, भांडागारों, मेगा फूड पार्क/पीएमकेएसवाई और अनुमोदित, स्वीकृत या संचालित परियोजनाओं तथा निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस निर्वाचन क्षेत्र में नए खाद्य प्रसंस्करण संकुल, मोटे अनाज-आधारित प्रसंस्करण इकाइयों और कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना करने या उन्हें सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देवास-शाजापुर में सृजित रोजगार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को प्रदान की गई राजसहायता तथा कृषि-आधारित उद्योगों को मजबूत करने के लिए भविष्य की कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) : सोयाबीन, गेहूं, दालें, बागवानी उत्पाद और मिलेट के प्रसंस्करण सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं अर्थात प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई),खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफ पीआई), और केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) के माध्यम से संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं मांग-आधारित हैं और मध्य प्रदेश के देवास-शाजापुर संसदीय क्षेत्र सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही हैं।

एमओएफ़पीआई अपनी योजनाओं के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण अवसंरचना को मजबूत करने में सहायता कर रहा है, जिससे उत्पादन और प्रसंस्करण क्षमता के बीच के अंतर को कम किया जा सके। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत पूर्ण परियोजनाओं के परिणामस्वरूप देश भर में लगभग 241.55 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) प्रति वर्ष की प्रसंस्करण क्षमता का सृजन हुआ है, जिसमें से मध्य प्रदेश के देवास जिले में 1.99 एलएमटी प्रति वर्ष की प्रसंस्करण क्षमता निर्मित की गई है।

(ख) से (घ) : एमओएफ़पीआई स्वयं कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं करता है। हालाँकि, यह अपनी तीन योजनाओं के माध्यम से मिलेट आधारित इकाइयों सहित ऐसे उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है और इस प्रकार किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत मध्य प्रदेश के देवास संसदीय क्षेत्र में मिलेट प्रसंस्करण के लिए कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। पीएमकेएसवाई की घटक योजना के अंतर्गत देवास संसदीय क्षेत्र में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है-

जिले का नाम	परियोजना का नाम	अनुमोदन की तिथि	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत सहायता अनुदान (करोड़ रुपये में)	निजी निवेश (करोड़ रुपये में)	सृजित/ सृजित होने वाला	स्थिति
घटक योजना- मेगा फूड पार्क योजना							
देवास	अवंती मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	31-12-2015	146.07	50.00	40.00	240	प्रचालनरत
घटक योजना- खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार							
देवास	ऑयस्टर एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड	08-07-2023	20.50	4.53	4.46	52	पूर्ण
शाजापुर	पवनश्री फूड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	09-08-2023	19.05	3.80	15.22	153	कार्यान्वयनाधीन
घटक योजना- एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना							

सीहोर	एसएजी फूड्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	13-03-2026	55.67	10.00	45.67	9552	कार्यान्वयनाधीन

मध्य प्रदेश के देवास संसदीय क्षेत्र में पीएमएफ़एमई की घटक योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना का विवरण इस प्रकार है-

जिले का नाम	**स्वीकृत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों की संख्या**	**स्वीकृत सब्सिडी (करोड़ रुपये में)**	**सृजित/सृजित होने वाला**
देवास	299	10.88	897
शाजापुर	230	5.44	690
सीहोर	415	12.12	1245
आगर मालवा	216	5.08	648

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के देवास संसदीय क्षेत्र में मिलेट प्रसंस्करण के लिए किसी भी सूक्ष्म खाद्य उद्यम को मंजूरी नहीं दी गई है।
